

<p>1</p> <p>प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उपवन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट आवेदित वन भूमि के व्यपवर्तन पर संभावित लाभों के प्रतिप्रेष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत स्पष्ट अभिमत दिया जावे यदि किन्ही विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का ब्यौरा दिया जावे।</p>	<p>भाम मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित वनभूमि 148.75 हेक्टेयर के प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदक संस्था को उपयोग पर प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।</p>
---	--

(एस.के.सिंह)
(भा.व.से.)

वनसंरक्षक

सामान्य वनमंडल खण्डवा